प्रस्तावना

1.1 प्रस्तावना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (सां.स्था.क्षे.वि.यो.) को, सांसदो को अपने निर्वाचन क्षेत्रों में स्थानीय आवश्यकताओं पर आधारित स्थायी समुदाय परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु समर्थ बनाने के लिए, 23 दिसम्बर 1993 में प्रारम्भ किया गया था।

सां.स्था.क्षे.वि.यो. का कार्यान्वयन फरवरी 1994 में प्रारम्भिक रूप से जारी दिशानिर्देशों द्वारा नियंत्रित है, जिसका समय-समय पर तथा अंतिम बार नवम्बर 2005 में संशोधन किया गया था। योजना प्रावधान करती है कि लोक सभा के सदस्य अपने निर्वाचन क्षेत्र में कार्यान्वयन हेतु निर्माण कार्यों का चयन करेंगे जबकि राज्य सभा का सदस्य राज्य, जिससे इसका चुनाव किया गया था, में अपने पंसद के एक अथवा अधिक जिलों में कार्यान्वयन के लिए निर्माण कार्यों का चयन करेगा। नामांकित सांसद अपनी पसंद के किसी राज्य/सं.शा.क्षे. के एक अथवा अधिक जिलों में कार्यान्वयन हेतु निर्माण कार्यों का चयन करेंगे। 1998-99 से प्रत्येक सांसद के लिए वार्षिक आवंटन ₹ 2 करोड़ है। सां.स्था.क्षे.वि.यो. भारत सरकार द्वारा पूर्ण रूप से वित्तपोषित एक योजना स्कीम है तथा योजना के अंतर्गत जारी निधियाँ गैर-व्यपगत हैं।

1.2 योजना के उद्देश्य:

योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:

(i) स्थानीय रूप से महसूस की गई आवश्यकताओं पर आधारित जन उपयोग हेतु सदैव उपलब्ध विकासात्मक प्रकृत्ति के निर्माण कार्य करना;

(ii) प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में निर्माण कार्यों को प्रारम्भ करना;

(iii) अनुसूचित जाति (अ.जा.) तथा अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) द्वारा बसाए हुए क्षेत्रों को विशेष फोकस देना;

(iv) कुछ शर्तों के तहत समुदायिक अवसंरचना एवं जन उपयोगी भवनों का निर्माण तथा पंजीकृत समिति/ट्रस्ट हेतु निर्माण कार्य करना है।

1.3 योजना कार्यान्वयन

केन्द्रीय स्तर पर, योजना सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (इससे आगे मंत्रालय के रूप में उल्लेखित किया गया है) द्वारा नियंत्रित है। केन्द्र, राज्य तथा जिला स्तर पर विभिन्न प्राधिकरणों की भूमिका दर्शाने वाला एक चार्ट नीचे दिया गया है:

अध्याय-1

प्रस्तावना

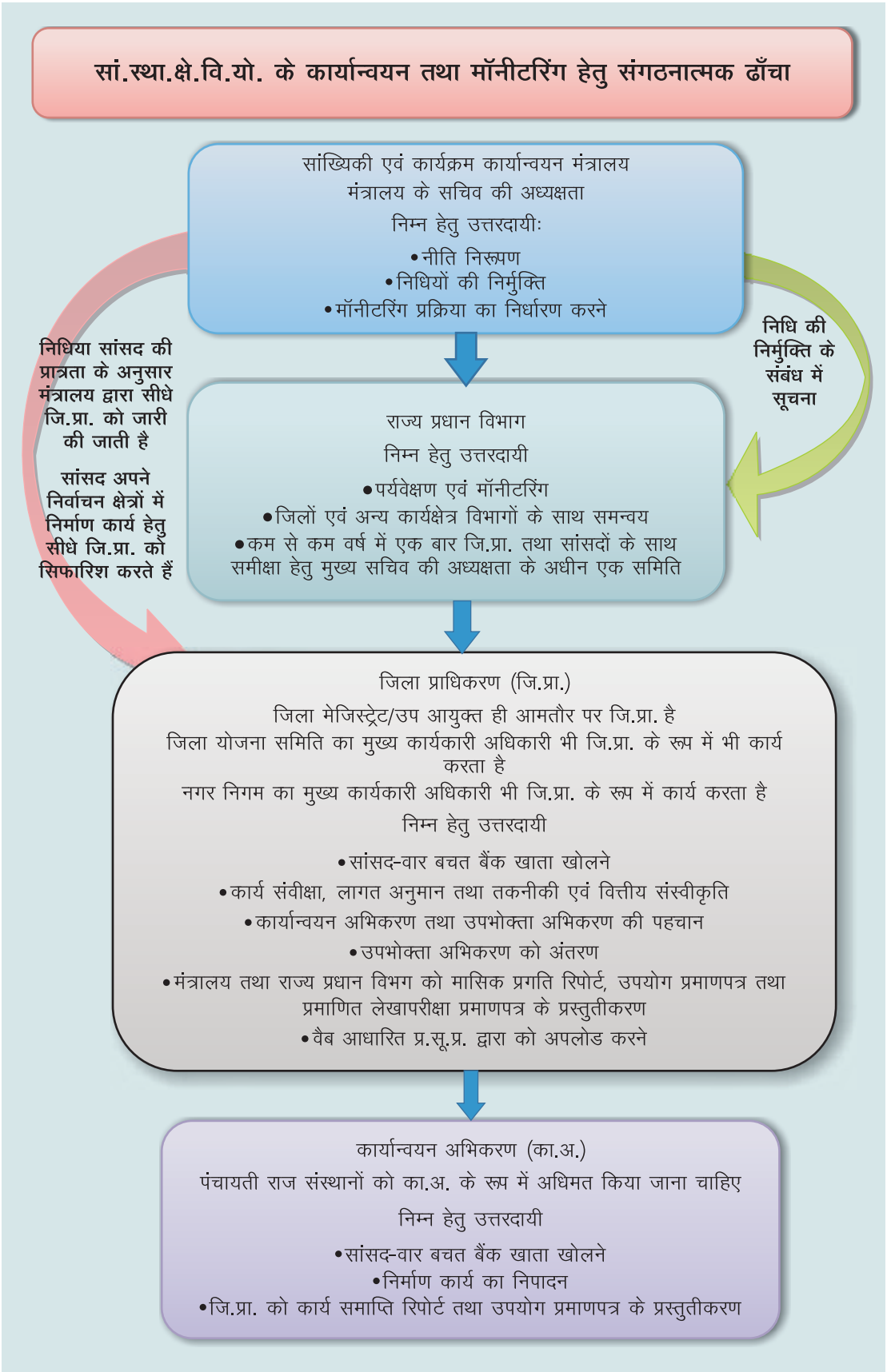

1.4 वित्तीय प्रबंधन

1.4.1 निधियों की निर्मुक्ति

केन्द्र सरकार, राज्य/सं.शा.क्षे. के प्रधान विभाग तथा संबंधित सांसद को सूचना के अंतर्गत प्रत्येक ₹ एक करोड़ की दो किश्तों में ₹ 2.00 करोड़ की निधियाँ प्रति वर्ष सीधे जि.प्रा. को जारी करती है। जि.प्रा. तथा का.अ. निधियों को राष्ट्रीयकृत बैंक में प्रत्येक सांसद हेतु खोले गए अलग खातों में जमा करते हैं।

जि.प्रा. को जारी निधियाँ गैर-व्यपगत हैं तथा इनको अनुवर्ती वर्षों में उपयोग हेतु आगे ले जाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, वित्तीय वर्ष के अंत तक भारत सरकार द्वारा जि.प्रा. को जारी नहीं की गई निधियों का अभ्यर्पण/समाप्त कर दिया जाता है।

योजना के अंतर्गत जारी निधियों पर अर्जित ब्याज संबंधित सांसद द्वारा अनुशांसित अनुमत निर्माण कार्यों हेतु उपयोग किया जाना है।

1.4.2 बजट अनुमान एवं व्यय

योजना के अंतर्गत, भारत सरकार ने 1993-94 से 2008-09 तक ₹ 19,425.75 करोड़ जारी किया है। जि.प्रा. के पास उपलब्ध 19.845.91 करोड़ की कुल निधि (ब्याज के रूप में अर्जित ₹ 420.16 करोड़ सहित) के प्रति ₹ 18.057.91 करोड़ (91 प्रतिशत) का व्यय किया गया था। पाँच वर्षों की अवधि (2004-05 से 2008-09) के दौरान योजना के अंतर्गत वार्षिक बजट आवंटनों, जारी निधियाँ, जिला प्राधिकरणों के पास उपलब्ध कुल निधियाँ, वार्षिक व्यय तथा अव्ययित शेषों को तालिका 1.1 में शामिल किया गया है:

तालिका 1.1: बजट अनुमान, जारी निधियाँ, व्यय तथा अव्ययित शेष

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	जारी निधियाँ	जि.प्रा.के पास उपलब्ध पिछले वर्ष का अव्ययित शेष	अव्ययित शेष पर अर्जित ब्याज	जि.प्रा. के पास उपलब्ध कुल निधियां	वर्ष के दौरान किया गया व्यय	अंत शेष	उपलब्ध निधियों के उपयोग का प्रतिशत
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (3)+(4)+(5)	(7)	(8)= (6)-(7)	(9)= (7)*100/(6)
2004-05	1,580.00	1,310.00	2,404.26	42.35	3,756.61	1,909.11	1,847.50	50.82
2005-06	1,580.00	1,433.90	1,847.50	34.29	3,315.69	1,382.63	1,933.06	41.70
2006-07	1,580.00	1,451.50	1,933.06	31.57	3,416.13	1,278.71	2,137.42	37.43
2007-08	1,580.00	1,470.55	2,137.42	35.12	3,643.09	1,506.45	2,136.64	41.35
2008-09	1,580.00	1,580.00	2,136.64	42.99	3,759.63	1,971.63	1,788.00	52.44

(स्त्रोत: सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय)

वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल निधियों (प्रारम्भिक शेष, वर्ष के दौरान जारी निधियों तथा अव्ययित शेष पर अर्जित ब्याज का जोड़) में से उपयोग तथा इसके प्रति किए गए व्यय की वर्ष-वार स्थिति नीचे ग्राफीय रूप से अंकित किया गया है जो सूचित करता है कि व्यय प्रारम्भिक शेष तथा प्रत्येक वर्ष इस पर अर्जित ब्याज से भी कम था। इस प्रकार निधियों की निर्मुक्ति जि.प्रा. के पास निधियों की उपलब्धता के आधार पर नियंत्रित नहीं थी।